संख्या– 1805 VI/2006–143(पर्य0)/2002

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 06 नवम्बर, 2006

विषयः–पर्यटन विकास की नयी योजनायें एंव बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत योजनाओं हेतु वर्ष 2006–07 के आय व्ययक की एकमुश्त धनराशि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या–908/XXVII(1)/2006, दिनांक 24 अप्रैल, 2006 तथा आपके पत्र संख्या–1722/2–6–566/2006 दिनांक 3 अगस्त, 2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में पर्यटन विकास की नई योजनाओं हेतु रू0 716.01 लाख (रूपये सात करोड़ सोलह लाख एक हजार मात्र) तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा पर्यटन की संस्तुत योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 875.00 लाख (रूपये आठ करोड़ पिछत्तर लाख मात्र) अर्थात कुल रू0 1591.01 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ इक्कानब्बें लाख एक हजार मात्र) की धनराशि को व्यय करने हेतु निम्न विवरणानुसार निदेशक पर्यटन द्वारा आहरित कर उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के निवर्तन में रखे जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते है कि धनराशि का बैंक से आहरण एकमुश्त न करके यथा आवश्यकतानुसार किश्तों में ही किया जायेगा।

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	मानक मद	आय–व्ययक प्राविधान	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	लेखाशीर्षक 5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत पर्यटन विकास–24–वृहत्त निर्माण कार्य	875.00	875.00
2	लेखाशीर्षक 5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सैक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएँ –24–वृहत्त निर्माण कार्य	1230.00	716.01
	योग–	2105.00	1591.01

2–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3–उक्त धनराशि एक मुश्त स्वीकृत की जा रही है । धनराशि के सापेक्ष योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान होने के उपरान्त धनराशि व्यय की जायेगी ।

4–स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है, मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरित मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5–वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6–कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण इकाई के अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगें।

7–बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि से वही कार्य कराये जायेगें, जो उक्त आयोग से अनुमोदित हो और इससे इतर कार्यों पर इस धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

8–प्रत्येक योजना में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक साइनेज स्थापित कर दिया जायेगा, जिसमें कार्य का पूर्ण विवरण उत्तरांचल पर्यटन के "लोगों" सहित इंगित किया जायेगा, जैसा कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रत्येक निर्माण इकाई को इंगित किया जा चुका है।

9–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

10–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0–1004/XXVII(2)/2006, दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

संख्या– 1085 /VI/2006–143(पर्य0)/2002तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5–श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त।
6–अपर सचिव, नियोजन।
7–निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
8–निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
9–निजी सचिव मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
10–समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
11–निदेशक, ए0आई0सी0, उत्तरांचल।
12–वित्त अनुभाग–2,
13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।